## नियम एवं शर्ते :-

1. जन्माष्टमी मेला 12.8.2022 से 11.9.2022 तक बल्लभगढ़ तथा दशहरा मेला 1.10.2022 से 30.10.2022 तक एनआईटी फरीदाबाद एवं बल्लाभगढ़ में आयोजित किया जाएगा।
2. मेले के आयोजन के लिए बोली के रूप लगाई जाने वाली दान राशि बल्लभगढ़ मे आयोजित होने वाले मेलो के लिए कम से कम 12-12 लाख व एन आई टी फरीदाबाद मे आयोजित मेले के लिए सात लाख होगी
3. मेला आयोजन करने हेतु मैदान का प्रबंध नगरनिगम फरीदाबाद से आयोजक को स्वयं करना होगा !
4. बोली मे भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली से पूर्व नगरनिगम फरीदाबाद/बल्लभगढ़ से उक्त तिथियों मे सम्बन्धित मैदान की उपलब्धता के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करवाना होगा !
5. बोली मे भाग लेने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म बोली से पूर्व दो लाख धरोहर राशि के रूप मे डिमांड ड्राफ्ट या नकद रूप से जमा कराकर बोली मे भाग ले सकता है ! धरोहर राशि को असफल बोलीदाता को तुरंत तथा सफलतम बोलीदाता/आयोजक को मेले के सफल आयोजन के 15 दिन पश्चात वापिस किया जायेग !
6. सफलतम बोलीदाता को सफल बोली राशि का 50% मौके पर ही जमा कराना होगा यदि वो ऐसा करने मै असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे स्थान के बोलीदाता को उसके द्वारा लगाई लगाई बोली की धनराशी अनुसार मेला आयोजन हेतु आमंत्रित किया जाएगा !
7. सफलतम बोलीदाता को मेला के आरम्भ करने से पहले शेष 50% राशि रैड क्रॉस कार्यालय मे जमा करवाकर रसीद लेनी होगी !
8. बोली मे प्राप्त होने वाली राशि रैड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/प्रकल्पो के लिए ली जाएगी !
9. सफलतम बोली दाता को सम्बन्धित क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग (फरीदाबाद व बल्लभगढ़) से मेला आयोजन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र व फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है !
10. सभी आवश्यक प्रमाणपत्र के पश्चात उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद द्वारा मेला आयोजन बारे मे अनापति-प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा !
11. मेला आयोजक को बिजली, पानी ,लाउडस्पीकर , पुलिस आदि का प्रबंध अपने स्तर पर करना होगा तथा गुणवता सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र अपने स्तर पर लेना अनिवार्य है !

12. सफलतम बोलीदाता द्वारा स्वयं मेले का आयोजन/संचालन किया जाएगा उसके द्वारा स्वयं किया जाएगा वो ना ही तो स्वीकृति को स्थानांतरित करेगा और नाही सबलेट करेगा यदि ऐसा पाया गया तो स्वीकृति तुरंत रद्द कर दी जायेगी तथा जमा राशि जब्त कर दी जायेगी !

13.मेले के अंदर किसी प्रकार के अश्लील नाच, शराब का सेवन ,जुआ व अन्य आपतिजनक हरकतों पर पूर्णतया पाबंदी होगी शिकायत होने पर तुरंत मेला बिना किसी कारण के रद्द कर दिया जाएगा !

14 मेले मे मानव सुरक्षा को हानि पहुचाने वाले खतरनाक उपकरण मेले मे निषेध रहेंगे !

15 आयोजक मेले मे सभी प्रकार की रक्षा और सुरक्षा हेतु स्वय जिम्मेवार होंगे

16 मेला आयोजन के समय उपायुक्त महोदय /सक्षम प्राधिकरण द्वारा गठित निरीक्षण दल कभी मेले का निरीक्षण कर सकता है यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो निरीक्षण दल द्वारा मेला रद्द करने हेतु कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी !

17 मेले आयोजन हेतु आयोजक को कम से कम मेला आयोजन करने का पाँच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है जिसके लिए हलफनामा/ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा !

18 उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा किसी भी समय आपतिजनक स्तिथि होने पर बिना कारण बताये मेले को बंद करने का पूर्णतया अधिकार रहेगा !

19 राष्ट्रीय पर्व और अन्य विशेष स्तिथि मे मेला आयोजन हेतु संदर्भित उपरोक्त तिथियों मे बदलाव किया जा सकता !

**20 बोली का आयोजन उपायुक्त गठित कमेटी की देखरेख मे किया जाएगा तथा कमेटी का फैसला सभी को मान्य होगा !**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| हस्ता० | हस्ता० | हस्ता० | हस्ता० | हस्ता० |
| **नगराधीश** | **सचिव** | **लेखा अधिकारी** | **जिला नाज़र** | **सह-सचिव** |
| फरीदाबाद | रैड क्रॉस | उपायुक्त कार्यालय | उपायुक्त कार्यालय | रैड क्रॉस |